

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2013/51-2

दिनांक 14.10.13

—: परिपत्र :—

संयुक्त सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, राज0 जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.1 (2)डीओपी/ए-2/86 जयपुर दिनांक 04.10.13 के द्वारा राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चयनित चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में नियुक्ति प्रक्रिया का संशोधन जारी कर दिया गया है अतः आपके अधीन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा चयनित चिकित्सक जिन्होंने एक वर्ष का संतोषजनक परीविक्षाकाल पूर्ण कर लिया है, को नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने हेतु उनके सेवा विवरण दिनांक 15.10.13 सांयकाल तक निम्न ई-मेल पर भिजवाने की व्यवस्था करावें। यदि किसी कार्यालय द्वारा पूर्व में भी उक्त सूचना किसी अन्य वेबसाईट पर भेजी गई है तो भी निम्नांकित ई-मेल पर भिजवाने का श्रम करावें।

1. jdplan09@gmail.com

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।
दिनांक

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2013/

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- ✓ 4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि परिपत्र तुरन्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।